I/297446/2023

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
लखनऊः दिनॉकः 03 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प्रदेश में वर्तमान परिदृश्य में कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट तथा भूमि की उत्पादकता में क्षति की समस्या के समाधान हेतु और भी प्रभावी रूप से कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने, किसानों के लिए अतिरिक्त आय तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज, मंडियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट से जैव ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रचुर सम्भावनाओं को फलीभूत करने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ''उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022'' का प्रख्यापन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 में प्राविधान है कि जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्जेज से शत–प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

2– उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–53 में इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावलियों या विनियमों से छूट के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान हैं :–

''इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी भूमि या भवन को अथवा भूमि या भवन के किसी वर्ग को इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों से छूट प्रदान कर सकेगी।''

3– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–1811/8–3–14–211 विविध/2013 दिनांक 17.11.2014 के माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 एवं अधिसूचना संख्या–3/2021/558/आठ–3–21–211 विविध/13टी.सी. दिनांक 09 फरवरी, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021'' अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम–3 (छः) में यह प्राविधान है कि जहॉ अधिनियम के अधीन अथवा मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से जारी शासनादेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विकास शुल्क के भुगतान से पूर्ण या आंशिक छूट प्रदान की गई हो, वहॉ विकास शुल्क, छूट की सीमा तक उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

4– अतएव उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या–11 सन 1973) की धारा–53 में वर्णित छूट संबंधी प्राविधान के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अधीन अर्ह और पंजीकृत तथा कमीशन होने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों को विकास शुल्क से शत–प्रतिशत छूट प्रदान करने हेतु राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

(1) लाभार्थी जैव ऊर्जा इकाई का संचालन आगामी पॉच वर्षों तक किए जाने की बाध्यता होगी।

(2) जैव ऊर्जा इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉति की जाएगी।

(3) नीति के अधीन प्रोत्साहन एवं रियायतें प्राप्त करने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों द्वारा सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त की जाएगी और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग/यूपीनेडा की गाईडलाइन्स का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।

(4) जैव ऊर्जा इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहां पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(5) छूट की सुविधा उन्हीं जैव ऊर्जा इकाईयों को अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के प्रख्यापन तिथि के उपरान्त उक्त नीति के प्रविधानों के अधीन पंजीकरण कराया गया हो।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपिः–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना संख्या–आई/297448/2023–8–3099/525/2022 दिनांक 03.04.2023 को असाधारण गजट दिनांक 03.04.2023 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–ख में प्रकाशित कराते हुए 5–5 प्रति समस्त संबंधित को तथा 100 प्रतियां आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

I/297446/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

6. निदेशक, यूपीनेडा।

7. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

9. अध्यक्ष/जिलाधिकारी, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

11. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by अरूणेश कुमार द्विवेदी
Date: [illegible] 0:35
Reason: Approved

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव